

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या-03 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. स.	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान राउमावि (सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	प्रमोदा जैन, व्या. इतिहास, राबाउमावि खाण्डा फलसा, जोधपुर शहर -जोधपुर	अक्टूबर-2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि बस्तवा, बालेसर- जोधपुर में व्याख्याता इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बंधित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 31.01.22

क्रमांक:-शिविरा / माध्य / संस्था / सी-2 / वेतन-व्यवस्था / 2022

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. संबधित संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबधित शाला / संस्था / कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर